FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर, बाड़मेर **मुकाम** बाड़मेर

अपीलार्थी–सुमेर लाल शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा **बनाम** उत्तरदाता– अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

किस्म मुकदमा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम **नं.** 39 **सन्** 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2024	अपीलार्थी सुमेर लाल शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा निवासी ग्राम पंचायत सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 29.03.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष दिनांक 25.02.2024 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.02.2024 मय ऑनलाईन की प्रति संलग्न की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में सूचना अधिकार प्रार्थना–पत्र का अंतरण इस कार्यालय के अधीन किसी भी लोक सूचना अधिकारी को होने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, लिहाजा हस्तगत अपील इस कार्यालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार में नहीं होने से श्रवणार्थ ग्रहण योग्य प्रतीत नहीं होती हैं। अतः अपीलार्थी की यह अपील इस कार्यालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली पूर्ण होकर नम्बर से कम हों व दाखिल दफ्तर हों। Signature Not Verified Digitally signed by Nishant Jain Date: 2024.06.19 18:29:47 IST Reason: SelfAttested जिला कलक्टर बाड़मेर	